

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-बीकानेर/विदेश यात्रा/ FT-388/2024/ 74 दिनांक:- 11/03/2024

**-: आदेश :-**

निशा रानी, नर्सिंग ऑफिसर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकिय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर को विदेश यात्रा Maldivे की यात्रा हेतु स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 09.03.2024 से 18.03.2024 तक (10 दिवस) तक विदेश यात्रा की अनुमति निम्न शर्ता के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे, तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार/नियोजन स्वीकार नहीं करेंगीं।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग-पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तहत की राष्ट्र विरोधी/असंवैधानिक गतिविधियों से संबंध नहीं रखेगे।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-बीकानेर/विदेश यात्रा/ FT-388/2024/ 74 दिनांक:- 11/03/2024  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, परिक्षेत्र-बीकानेर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकिय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 2172-73 दिनांक 22.02.2024 के क्रम में।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय का प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी प्रत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5824712

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :01-03-2024 11:07:55